**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-4197**

**जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।**

**तमिलनाडु में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना**

**4197. श्री टी.आर.वी.एस. रमेशः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के कुड्डालोर क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री**

**(श्री आर. के. सिंह)**

**(क) और (ख) :** विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात विद्युत का उत्पादन लाइसेंसमुक्त हो गया है और ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की प्रौद्योगिक-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। इसलिए, ताप विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय/सीईए में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तमिलनाडु के कुड्डालोर क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

******